

का विभाग

- दुप्या बिठ पवों स क्षवलो ३२ हो।

आत विचारदायीन कहल में सपर्यायन कुंही  
लोपनिषाव विभागा में ठीक से प्रपारी भाषा  
निष्कट सिद्धे जयि हेतु साध्य मय लब्ध  
इहो के अनुमोदनाथि/हत्वा धरार्थ प्रहृत

८८ अ. वि. पु. ६२३५

25/11/16

yes

4/5/20

6.1.16  
28/01/16



14/01



P-17-427/2015/सा.नि.न

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय : GPMO-7402/2015-श्री मांगीर कठण्डा  
विहडु मा प्र शासन एव अ-प।

का विभाग

इकटछि:-

प्रमारी कावेरी की विहडु सेना डवरुत शासन के  
पक्ष लभनी हेतु नहने विहडु विभाग को अंश एकरना  
चोहो।

18/3/16

अनुभावे

का से

सचिव

विहडु विभाग

18/03/16

21/3/16

चन्द प्रकाश अग्रवाल

सचिव, म.प्र. शासन  
लोक निर्माण विभाग

8436

का मांगीर  
22-3-16

○

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :

का विभाग





IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH  
BENCH AT GWALIOR

WRIT PETITION 7402 of 2015

PETITIONER : 1. Bhagirath Prasad S/o Shri Jamuna Prasad, Age 54 years, Occupation - Service classified daily wages employee (Painter), R/o - Ater road, behind Bombay building, Bhind (M.P).  
2. Kamna S/o Shri Mantole Aged- 65 years Occupation - retired classified daily wages employee labour, R/o Ater road, Bhind (M.P).

Versus,

RESPONDENTS

1. State of Madhya Pradesh Through Principal Secretary, Ministry of Public Works Department, Vallabh Bhawan, Bhopal. (M.P).
2. Engineer in Chief, Public Works Department, Bhopal (M.P).
3. Chief Engineer, Public Works Department, Thatipur Gwalior(M.P)
4. Executive Engineer, Public Works Department, Division Bhind (M.P.)

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE  
CONSTITUTION OF INDIA

May it please this Hon'ble Court,

The petitioner most respectfully submits as under:-

Particulars of the order against which the petition is made:-

1. The petitioner is aggrieved by the action of respondents whereby he has not been absorbed/ regularized in service, despite the fact that he has been classified on the permanent post of time keeper since 01.10.1993 on the basis of actual work being taken by him. But even than the respondents are not giving him the benefit of post like pay scale and increment etc. of the post. The said action of the respondents is against the public policy and discriminatory contrary to provisions of the Article 14 and 16 of the Constitution of India. Hence this petition.



3

2015

19/11/19

2015 द्वारा

न्यायालय  
पंजीकृत

प्रभारी  
य में



मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय  
बल्लभ-भवन-भोपाल-462004,

//आदेश//

भोपाल, दिनांक जनवरी, 2016

क्रमांक-एफ-19-427/2015/स्था/19:: राज्य शासन एतद्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम की संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1, तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग को मान. उच्च न्यायालय, खंडपीठ, ग्वालियर द्वारा याचिका क्रमांक-7402/2015 श्री भागीरथ प्रसाद विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि ओर विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं निम्नलिखित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी मामले में तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी की आवश्यकता हो और याचिका के उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है। रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से की जायेगी।
2. वह पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ओर ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।
3. समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाओं तथा आदेशों को एकत्रित करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा समाग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन उत्तर तैयार कर सकेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :-
  - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
  - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
  - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल कराना प्रस्तावित है और किसी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई।
  - (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद पत्र की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
7. मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहायोग करना वाद मामले में उसे जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है उसके संबंध में विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।



- 8 अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजें।
- 9 यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हों।
10. जैसे ही उसे अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होत है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी जबकि प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।
11. प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने से शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहायोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य दस्तावेज अप्रकाशित/छुपा हुआ नहीं रह जाए।
12. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का अविनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को देगा। निर्णय एक अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जाय और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
13. प्रभारी अधिकारी का यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही यह पारित किया जाए विभाग अध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(सुनील मंडावी)  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग  
भोपाल, दिनांक /01/2016

पृ.क्रमांक - एफ-19-427/2015/स्था/19

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. रजिस्ट्रार, मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण, म0प्र0 भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर परिक्षेत्र ग्वालियर।
5. अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण मण्डल ग्वालियर।
6. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग भिण्ड / प्रभारी अधिकारी की और अग्रेषित, साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर विशेष अनुमति याचिका दायर कर रिपोर्ट के साथ एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए।
7. जिलाध्यक्ष जिला भिण्ड।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग  
भोपाल